

अधिकारी की ओर से पेश फर्द नीलामी से यह दर्शाता है कि
 मौके पर मदयून रंगलाल उपस्थित था। बोली लगाने के संबंध में
 अन्य गवाहों के हस्ताक्षर फर्द पर दर्शित नहीं हैं। इस स्तर पर
 न्यायालय पुनः नीलामी की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु
 आदेश प्रदान करना उचित पाता है। उपखंड अधिकारी हिण्डोली
 को जयें जिला कलेक्टर बूंदी इस आशय का पत्र प्रेषित हो कि
 प्रस्तुत प्रकरण में कुर्कशुदा भूमि को नीलाम किये जाने की
 कार्यवाही अमल में लाया जावे एवं नीलामी की नियत दिनांक
 की सूचना डिकिदार को भी भेजी जावे तथा फर्द नीलामी पर
 डिकिदार के हस्ताक्षर कराये जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने
 नीलामी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 को पेश हो।

2/11

अपर जिला न्यायाधीश
 क्रम संख्या 2, बूंदी (राज०)

19.12.20

आवेदन क्रमांक 100/2025 मद्रास की
 ओर से कोर्ट द्वारा नयी। उपखंड
 अधिकारी हिण्डोली की दल काश्त
 की विपरीत प्राप्त हुई कि नीलामी
 से जितनी भी धरती बचा बाली गयी।
 लगाए जाने के नीलामी कसूरफल रही।
 नीलामी के अंतर्गत फर्द उतारोवका,
 काफ़ पेश किए। नीलामी के दौरान
 तबसे डिकिदार श्री उप. वरुण जी यंत्रि
 जिलाधीन के किले तबसे धरती बचा बाली

गरीं लगी है ज वही ही है नमः - 2021
द्वारा डिप्टी मजिस्ट्रेट को भी निलंबनी की
कार्यवाही के माज लेने की अनुमति
नी जाती है। पुनः निलंबनी कार्यवाही
कमाल में जारी है। इस कार्य के
डिप्टी मजिस्ट्रेट की कोली लगाते हेतु
अनुमति है। पत्राचार का दिनांक 25/11/2021
दिनांक दि. 05/11/26 को है।

आपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बुन्दी (राज०)